# समाहरणालय, बक्सर
## (आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O) — मो0–8544426112

ई–मेल – dm.buxar.bih@nic.in — ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com


**अमन समीर, (भा0प्र0से0) जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 09.09.2020 को सम्पन्न आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।**

**उपस्थितः– यथा पंजी।**

**कार्यवाही**

दिनांक 09.09.2020 को आपूर्ति टास्क फोर्स से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें राशन कार्ड निर्गमन एवं वितरण, पूर्विकता, अन्त्योदय एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत वितरण होने वाली खाद्यान्न (गेहूँ, चावल एवं दाल/चना), किरासन तेल आवंटन, उठाव एवं वितरण, डोर स्टेप डिलेवरी परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा उठाव/Dispatch एवं LPG गैस से संबंधित तथा अन्य विषयों पर भी विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्नांकित आवष्यक निदेश दिये गये :–

1. **राशन कार्ड निर्गमन से संबंधित समीक्षा** :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि बक्सर जिला अन्तर्गत निर्गत कुल राशन कार्ड की संख्या 2,26,082 है, जिसकी प्रखण्डवार एवं अनुमण्डलवार अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

| S.No. | Block | PHH | | AAY | | Others | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Holder | Members | Holder | Members | Holder | Members | Holder | Members |
| 1 | Buxar | 20482 | 100642 | 3195 | 16104 | 0 | 0 | 23677 | 116746 |
| 2 | Chausa | 11880 | 65073 | 1785 | 10491 | 0 | 0 | 13665 | 75564 |
| 3 | Itarhi | 20508 | 125651 | 2491 | 15143 | 0 | 0 | 22999 | 140794 |
| 4 | Rajpur | 24354 | 128133 | 3496 | 18843 | 0 | 0 | 27850 | 146976 |
| 5 | Buxar NP | 10306 | 49642 | 1052 | 4867 | 0 | 0 | 11358 | 54509 |
| **TOTAL** | | **87530** | **469141** | **12019** | **65448** | **0** | **0** | **99549** | **534589** |
| 6 | Dumraon | 24410 | 117269 | 3537 | 18577 | 0 | 0 | 27947 | 135846 |
| 7 | Simri | 22387 | 127631 | 4330 | 26228 | 0 | 0 | 26717 | 153859 |
| 8 | Barhampur | 19556 | 105248 | 3459 | 18656 | 0 | 0 | 23015 | 123904 |
| 9 | Nawanagar | 18210 | 93587 | 2635 | 13873 | 1 | 5 | 20846 | 107465 |
| 10 | Chakki | 4935 | 24797 | 793 | 4067 | 0 | 0 | 5728 | 28864 |
| 11 | Chaugain | 5986 | 30253 | 1469 | 7781 | 0 | 0 | 7455 | 38034 |
| 12 | Kesath | 5154 | 26361 | 511 | 2772 | 0 | 0 | 5665 | 29133 |
| 13 | Dumraon NP | 7358 | 37269 | 1802 | 8724 | 0 | 0 | 9160 | 45993 |
| **TOTAL** | | **107996** | **562415** | **18536** | **100678** | **1** | **5** | **126533** | **663098** |
| **ALL TOTAL** | | **195526** | **1031556** | **30555** | **166126** | **1** | **5** | **226082** | **1197687** |

अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्दीकरण के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को विभागीय निदेश के आलोक में निदिशत किया गया कि अपात्र राशन कार्ड लाभुको का नियमानुसार राशन कार्ड रद्द करते हुए एक पक्ष के अन्दर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

(**अनुपालनः**– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव)

2. **खाद्यान्न उठाव एवं वितरण से संबंधित समीक्षा** :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणली विक्रेता द्वारा ससमय e-Challan के माध्यम से राशि नहीं जमा करने के कारण खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण में विलम्ब होता है।

इस संबंध में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक को निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से माह के 5वीं तारीख तक e-Challan के माध्यम से खाद्यान्न की राशि

जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विक्रेता द्वारा ससमय राशि नहीं जमा करने पर उनसे कारण पृच्छा करते हुए 10वीं तारीख तक हर हाल में राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। 10वीं तारीख तक राशि नहीं जमा करने वाले विक्रेता के विरूद्ध अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुशंसा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर को निदेश दिया गया कि खाद्यान्न वितरण हेतु Food Calendar के अनुसार रोस्टर तैयार कर माह के 10वीं तारीख से खाद्यान्न निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। वितरण संबंधित रोस्टर दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराना सुनिश्ति करेंगें, ताकि आम जन को वितरण की सही जानकारी मिल सके।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि मासिक सामान्य वितरण के अतिरिक्त माह अगस्त में PMGKAY के तहत् 2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल प्रति इकाई मुफ्त दिया जा रहा है। माह जुलाई एवं अगस्त का एक साथ प्रति परिवार प्रति माह एक किलो के दर से कुल 2 किलो चना मुफ्त में दिया जा रहा है।

प्रतिवेदित माह– अगस्त 2020 में PHH योजना अन्तर्गत गेहूँ 10,122.52 क्वीं0, चावल 15185.19 क्वीं0 (50.59%), AAY योजना अन्तर्गत गेहूँ 2429.14 क्वीं0, चावल 3643.71 क्वीं0 (63.25%) एवं PMGKAY योजना अन्तर्गत गेहूँ 11861 क्वीं0, चावल 17943.57 क्वीं0 एवं दाल/चना 1953.70 क्वीं0 (46.33%) खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

इस संबंध में वितरण को काफी कम पाते हुए सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक को निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा किये जा रहे वितरण की गुणवत्ता एवं मात्रा की Randomly जाँच कर अविलम्ब प्रतिवेदित करें।

(**अनुपालनः**– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, जिला बक्सर)

3. **खाद्यान्न की राशि Online जमा करने हेतु प्रशिक्षण से संबंधित निदेश** :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत लगभग 20 प्रतिशत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ही मोबाईल के माध्यम से खाद्यान्न की राशि Online जमा किया जा रहा है। विक्रेताओं को खाद्यान्न की राशि Online जमा कराने हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक को निदेश दिया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को मोबाईल के माध्यम से खाद्यान्न की राशि Online जमा कराने हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर बैंक कर्मी के सहयोग से पंचायतवार रोस्टर तैयार कर संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय पर विक्रेताओं को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विक्रेता अपने मोबाईल के माध्यम से ही सुगमता पूर्वक खाद्यान्न की राशि Online जमा कर सकें।

(**अनुपालनः**– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बक्सर एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, जिला बक्सर)

4. **किरासन तेल के आवंटन, उठाव एवं वितरण से संबंधित समीक्षा** :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि माह अगस्त, 2020 में जिला अन्तर्गत कुल 4 किरासन तेल थोक विक्रेताओं को किरासन तेल का उपावंटन किया जा रहा है, जो विवरणी निम्नवत है :–

| क्र0 | थोक विकेता का नाम | पूर्व माह का अवशेष | प्राप्त आवंटन | कुल उठाव | माह का योग | माह का वितरण | कुल अवशेष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | बक्सर कुटीर उद्योग, बक्सर | 10817.00 | 60000.00 | 60000.00 | 70817.00 | 64738.00 | 6079.00 | |
| 2 | मे0 आर0के0बी0के0, बक्सर | 9070.00 | 48000.00 | 48000.00 | 57070.00 | 44215.00 | 12855.00 | |
| 3 | मे0 द्वारीका एण्ड सन्स, रघुनाथपुर | 995.00 | 72000.00 | 72000.00 | 72995.00 | 70399.00 | 2596.00 | |
| 4 | मे0 शशांक ऑयल भलूहा, राजपुर | 2183.10 | 60000.00 | 60000.00 | 62183.10 | 53732.00 | 8451.10 | |
| | कुल योग | **23065.10** | **240000.00** | **240000.00** | **263065.10** | **233084.00** | **29981.10** | |

अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव द्वारा किरासन तेल थोक विक्रेता को उपावंटित कर प्रति परिवार 1 ली0 की दर से ग्रामीण क्षेत्रों मे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में ठेला भेण्डरों द्वारा वितरण कराया जा रहा है।

फेयर प्राईस एसोसिशन के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि किरासन तेल थोक विक्रेता द्वारा प्रति ड्राम लगभग 2 से 3 लीटर कम तेल दिया जा रहा है। थोक विक्रेताओ द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा नोजल से तेल विक्रेताओ को हरे रंग के ड्रम में जिस पर विक्रेता का नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति सं0 अंकित रहता है। उक्त ड्रम में प्रति ड्रम 200 ली0 की मात्रा में दिया जाता है।

इस संबंध में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक को निदेश दिया गया कि किरासन तेल उठाव के दिन थोक विक्रेता का Random जाँच कर सही मात्रा के संबंध में प्रतिवेदित करेंगे।

(**अनुपालन**:– सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, जिला बक्सर)

5. **परिवहन अभिकर्त्ता से संबंधित समीक्षा** :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा बताया गया कि जिले में सभी विक्रेताओं को डोर–स्टेप–डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न उनके दुकानों तक ससमय पहुँचाई जा रही है।

इस संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को निदेश दिया गया कि प्रति माह खाद्यान्न का वितरण करने हेतु तिथिवार रोस्टर तैयार कर प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक सभी दुकानों पर खाद्यान्न ससमय पहुँचाया जाय। साथ ही विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की राशि जमा करने के उपरान्त 3 दिनों के अन्दर SIO Generate कर खाद्यान्न का Dispatch कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, जिला बक्सर को निदेश दिया गया कि राज्य खाद्य निगम से विक्रेताओ को दिये जाने वाले खाद्यान्न के वजन का Randomly माप कर (कम से कम 4 बोरी गेहूँ एवं 4 बोरी चावल) प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

(**अनुपालन**:– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, जिला बक्सर)

6. **<u>गैस एजेन्सी से संबंधित समीक्षा</u>** :– बक्सर जिला अन्तर्गत LPG घरेलु गैस का कुल कनेक्शन 3,38,720 एवं व्यवसायिक गैस का कुल कनेक्शन 2,231 एव उज्जवला योजना के तहत् कुल 69,131 कनेक्शन दिये गये है।

सभी LPG गैस ऐजेन्सी के प्रबंधकों को निदेश दिया जाता है कि विगत छः माह का अद्यतन स्थिति व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के वितरण से संबंधित विगत छः माह का अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं स्कूलो में कितने सिलेण्डर प्रति माह खपत की जा रही है।

सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक को निदेशित किया गया कि वैसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित करे जहॉ पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है एवं अवैध रूप से गैस का रिफीलिंग कर कालाबाजारी करने वालो के विरूद्ध जॉच कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक को निदेशित किया गया कि प्रति माह कम से कम 5 प्रतिष्ठानो पर छापेमारी कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि LPG घरेलु गैस का उपयोग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं स्कूलो में नहीं किया जा सके एवं कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित करें।

(**अनुपालन**:– सभी गैस एजेन्सी के प्रबंधक, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक, जिला बक्सर)

7. **<u>जन वितरण प्रणाली दुकानों के जॉच से संबंधित समीक्षा</u>** :– बक्सर जिला अन्तर्गत कुल 807 संचालित जन वितरण प्रणाली दुकानों की जॉच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक द्वारा की गई, जों निम्नवत है :–

| क्र0 सं0 | अनुमण्डल का नाम | प्रखण्ड का नाम | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | संबंधित क्षेत्र में ज0वि0प्र0 दुकानों की सं0 | अगस्त–2020 (प्रतिवेदित माह में निरीक्षण किये गये दुकानों की सं0 | प्रितिवेदित माह में निरीक्षण का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ओंकार चौधरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर | **795** | **12** | **1.51** |
| | बक्सर | | श्री कृष्ण कुमार उपध्याय अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर | 344 | 3 | 0.87 |
| 1 | | बक्सर | श्री सुनील कुमार दूबे, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर | 88 | 10 | 11.36 |
| 2 | | राजपुर | श्री मृत्युन्जय देव, प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक | 89 | 13 | 14.61 |
| 3 | | चौसा | श्री सुनील कुमार दूबे, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चौसा | 48 | 6 | 12.50 |
| 4 | | इटाढ़ी | श्री मृत्युन्जय देव, प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक | 63 | 11 | 17.46 |
| 5 | | शहर | श्री मृत्युन्जय देव, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर शहर | 44 | 7 | 15.91 |
| | | | **कुल** | **344** | **50** | **14.53** |
| 1 | डुमरॉव | | अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव | 463 | 7 | 1.51 |
| 2 | | नावानगर | श्रीमती अंशु रानी, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, नावानगर | 77 | 2 | 2.60 |
| 3 | | चौगाई | श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, चौंगाई | 22 | 2 | 9.09 |
| 4 | | केसठ | श्रीमती अंशु रानी, प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, केसठ | 16 | 3 | 18.75 |
| 5 | | डुमरॉव | श्रीमती अंशु रानी, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, डुमरॉव | 83 | 3 | 3.61 |
| 6 | | डुमरॉव शहर | | 40 | 2 | 5.00 |
| 7 | | सिमरी | श्री अजय कुमार सिह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी | 101 | 3 | 2.97 |
| 8 | | चक्की | श्री तेज प्रताप त्यागी,, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्की | 23 | 2 | 8.70 |
| 9 | | ब्रह्मपुर | श्री सतेन्द्र परासर, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ब्रह्मपुर | 101 | 2 | 1.98 |
| | | | **कुल** | **463** | **26** | **5.62** |
| | | | **कुल योग** | **807** | **88** | **10.90** |

जिले में संचालित दुकानों में से जिला आपूर्ति पदाधिकारी 1 प्रतिशत, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव अपने क्षेत्रान्तर्गत 5 प्रतिशत, सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी कम से कम 5–5 दुकानों एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत 25 प्रतिशत दुकानों

की जाँच कर दोषी विक्रेताओं के विरूद्ध PDS Control Act, 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

(**अनुपालन**:– सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव, एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक, जिला बक्सर)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

20/9/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-2179 / आ0, दिनांक 24/09/2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रबंधक, गैस एजेन्सी / सभी किरासन तेल थोक विक्रेता, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अग्रनी बैंक प्रबंधक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/9/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।